तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सोनाराम बनाम रूघनाथराम वगैरा प्रकरण सख्या:- 62/2018 धारा 111,128 एलआरएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16/4/2021	प्रकरण सख्या 62/2018 धारा 111,128 एलआरएक्ट सोनाराम बनाम रूधनाथराम के जरिये पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा सुदा भूमि ग्राम मेहरियो की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 538 रकबा 9.11 बीधा व खसरा नम्बर 567/1 रकबा 1.10 बीधा आई हुई है। इसी प्रकार से अप्रार्थी सख्यों एक की खातेदारी की कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 539/1 रकबा 10.03 बीधा व खसरा सख्या 566/1 रकबा 0.18 बीधा तथा अप्रार्थी सख्या 2 की खातेदारी व कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 538/1 रकबा 5.16 बीधा खसरा नम्बर 539/2 रकबा 04.08 बीधा व खसरा नम्बर 566/2 रकबा 0.17 बीधा वाके ग्राम मेहरियो की ढाणी कालीजाल तहसील लूणी मे आई हुई। उक्त खसरो की पत्थरगढी नही होने से प्रार्थी अपने खसरान की राजस्व नक्शे अनुसार स्थिति को लेकर एव अप्रार्थी सख्या एक व दो के खातेदारो के मध्य मौके पर एवं राजस्व नक्शे अनुसार एक रूपता रहे इसको ध्यान मे रखते हुये अपनी सीमाओ को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार का विवाद भविष्य मे नही हो को ध्यान मे रखते हुये राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस मे प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के उक्त खसरो की राजस्व नक्शे मे तरमीम हो चुकी है। जो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता सख्या 56,40,51, अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खसरो के अलग अलग बंटा नम्बर अंकित है तथा राजस्व नक्शे सत्य प्रतिलिपी –पी 35 कमांक 1406 दिनॉक 20.06.2018 मे उक्त खसरो की तरमीम भी हो चुकी है। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार लूणी के आदेश कमाक 54 / दिनाक 14.03.2018 की पालना मे भू0अ0 निरीक्षक वा व हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरो का प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति मे सीमांकन भी करवा जा चुका है जिसकी फर्द मौका दिनांक 08.05.2018 शामिल पत्रावली है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि मौका रिपोर्ट दिनॉक 08.05.2018 एवं वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खसरो की पत्थरगढी करवायी जाकर पालना से अवगत करवावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी